



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 124 राँची, गुरुवार,

6 मार्च, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

13 फरवरी, 2025

संख्या- 08/वरीय विविध-13/2024 का0 812--झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के निम्न सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को विभागीय संकल्प संख्या-1459, दिनांक-27.02.2024 की कंडिका-2(IX) के तहत विहित शर्तों के अधीन स्तम्भ-6 में अंकित तिथि के प्रभाव से उच्च योग्यता भत्ता हेतु L.L.M की उपाधि पर तीन अग्रिम वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन	उच्च योग्यता		योगदान की तिथि	उच्च योग्यता भत्ता की देय तिथि	विभागीय संकल्प संख्या- 4328, दिनांक- 24.05.2016 के आलोक में एल०एल०एम० उपाधि पर पूर्व में दी गई स्वीकृति की तिथि
		उपाधि	निर्गत/ कन्वोकेशन तिथि			
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री रिजवान अहमद, सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश, सिमडेगा। (सेवानिवृत्ति तिथि 30.11.2022)	L.L.M	22.08.1989	11.07.2013	11.07.2013	-
2.	श्री रामबाबू गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतरा। (सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2022)	L.L.M	19.03.2004	06.07.2013	06.07.2013	-
3.	श्री राजेन्द्र कुमार जुमनानी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश, लोहरदगा। (सेवानिवृत्ति तिथि 31.05.2021)	L.L.M	11.10.1997	24.12.2001	24.12.2001	-
4.	माननीय न्यायमूर्ति श्री नवनीत कुमार, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची। (झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में दिनांक- 08.10.2021 तक कार्यरत)	L.L.M	12.05.1991	22.12.2001	22.12.2001	-

- उक्त अग्रिम वेतन वृद्धि वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता तदनुसार अनुमान्य होगी ।
- उपर्युक्त न्यायिक पदाधिकारियों को उच्च योग्यता भत्ता का लाभ इस शर्त के साथ देय होगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में पूर्व में एल०एल०एम० उपाधि पर दिये गये लाभ की राशि का समायोजन कर लिया जायेगा ।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय के अग्रसारण पत्र के साथ संलग्न न्यायिक पदाधिकारियों के एल०एल०एम० उपाधि प्रमाण-पत्र की वैधता पर झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट होने के उपरान्त ही उक्त भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
